1. संस्था का नाम :– **टेक्स प्रेक्टीषनर्स एसोसिएषन, इन्दौर**

2. संस्था का कार्यायल :– ई – 1, रतलाम कोठी, तह. जिला – इन्दौर (म. प्र.)

3. संस्था कार्यक्षेत्र :– मध्यप्रदेष राज्य

4. संस्था का उद्देष्य :–

(1) संस्था का मुख्य उद्देष्य कर सलाहकारों के व्यवसाय से जुड़े सभी व्यक्तियों के व्यावसायिक हितों का संरक्षण करना है, सदस्यों को उच्च स्तरीय व्यवसायिक गुणवत्ता को बढ़ावा देना, सैद्वांतिक आचार–व्यवहार तथा श्रेष्ठतम वातावरण का निर्माण करना ।

(2) संस्था के माध्यम से कर सलाहकारों को एक ऐसा मंच प्रदान करना है, जिससे वे शासन के सम्मुख, उच्च अधिकारियों के सम्मुख तथा सम्बंधित अन्य जनों के मध्य सरलतापूर्वक विचारों का आदान–प्रदान एवं संवहरन कर सके एवं प्रतिनिधित्व कर सकें।

(3) कर सलाहकार से संबंधित सम्पूर्ण व्यवसाय की प्रतिष्ठा बढ़ाना इस हेतु आवष्यक प्रयत्न करना, शैक्षणिक विकाय,सतत् विकास एवं अन्य प्रगत कार्यक्रमों का आयोजन करना।

(4) विभिन्न विषयों पर चर्चा , परिचर्चा गोष्ठी सेमिनार आदि का आयोजन करना जिससे कराधान विषय पर स्पष्टता एवं ज्ञानवर्धन हो ।

(5) संस्था, सदस्यों एवं जन–साधारण के लिए बुलेटिन, समाचार पत्र अथवा पत्रिका आदि का सम्पादन एवं प्रकाषन भी कर सकेगी ।

(6) संस्था, ज्ञानवर्द्वन एवं सतत् ज्ञानार्जन हेतु पुस्तकालय का संचालन भी किया जा सकेगा साथ ही संस्था सदस्यों को विषयगत कठिनाईयों को व्यवहारिक तरीके से हल करने में पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगी।

(7) संस्था द्वारा सामाजिक कल्याण के संप्रवर्तन हेतु भी दृष्टिकोण रखा जावेगा साथ ही सदस्यों के लिये कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन भी किया जावेगा।

(8) संस्था ऐसे अन्य किसी विधिपूर्ण, तथ्यपूर्ण कार्य ही उपरोक्त उद्देष्यों में प्रासंगिक सहायक हो का भी निष्पादन कर सकेगी, परन्तु संस्था ऐसे भी विनियम का निर्णय जो कि संस्था का यदि समान उद्देष्य हो उसे श्रमिक संघ बना दें का अपने सदस्यों का अन्य व्यक्तियों पर लगाने के लिये अपनी विधि या प्रयत्न से समर्थन संस्था नहीं करेगा।

(9) आम नागरिक द्वारा काराधान संबंधी विषयगत जानकारी एवं उसके अनुपालन के मद्देनजर विभिन्न गतिविधियॉ जैसे कि सेमिनार/कॉन्फ्रेंस/स्टडी सर्कल मिटिंग/लेक्चर्स/प्रोग्राम इत्यादि का आयोजन करना जिससे कि करदाता एवं विभाग के बीच सौहार्दपूर्ण वातावरण निर्मित हो सकें ।

(10) देष के युवावर्ग विषेष रूप से कानून के विघार्थियों के लिए शैक्षणिक प्रोग्राम का आयोजन करना ताकि वे देष के जिम्मेदार नागरिक बन सकें व प्रगतिषील राष्ट्र निर्माण में कराधान के महत्व को समझते हुए उसमें उचित योगदान कर सकें ।

अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव

5. **सदस्यता** : संस्था के निम्नलिखित श्रेणी के सदस्य होंगे :–

(अ) **संरक्षक सदस्य** :प्रावधान नहीं।

(ब) **आजीवन सदस्य** :प्रावधान नहीं।

(स) **साधारण सदस्यः–** जो व्यक्ति रूपये 1000/– प्रवेष शुल्क , रूपये 500/– फर्निचर व इंटीरियर डेकोरेषन फण्ड एवं **रूपये 1000/– प्रतिवर्ष व्यवस्था शुल्क** के रूप में देगा वह साधारण सदस्य होगा। साधारण सदस्य केवल उसी अवधि के लिये सदस्य होगा जिसके लिए उसने वार्षिक व्यवस्था शुल्क दिया है । सामान्यतः वार्षिक व्यवस्था शुल्क 30 जून तक जमा करना रहेगा एवं उसके पष्चात् 31 अगस्त तक 10 प्रतिषत विलम्ब शुल्क के साथ जमा करना रहेगा। यदि 31 अगस्त तक सदस्य द्वारा देया व्यवस्था शुल्क (विलम्ब राषि सहित) जमा नहीं कराया गया तो उसे एसोसिएषन के रिकार्ड में दर्ज पते पर पंजीकृत डाक से सूचना भेज कर 15 दिन के भीतर 30 सितम्बर जो भी बाद में आती हो, तक राषि जमा करने का अवसर दिया जाएगा। फिर भी यदि सदस्य द्वारा देय व्यवस्था शुल्क राषि (विलम्ब राषि सहित) जमा हनीं की जाती है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जावेगी।

(द) **सम्माननीय सदस्यः**– संस्था की प्रबंध कार्यकारिणी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस समय के लिये जो भी वह उचित समझे सम्मानीय सदस्य बना सकती है। ऐसे सदस्य साधारण सभा की बैठकों में तो भाग ले सकते है , परन्तु उनको मत देने का अधिकारी नहीं होगा।

6. **सदस्यता की प्राप्तिः**–

प्रत्येक व्यक्ति जो कि समिति का सदस्य बनने का इच्छुक हो लिखित रू‍प से आवेदन प्रबंधकारिणी समिति को प्रस्तुत करना होगा । जिसके आवेदन पत्र को स्वीकार करने या अमान्य करने का अधिकार समिति को होगा ।

7. **सदस्यता की योग्यताः**– संस्था का सदस्य बनने के लिये किसी व्यक्ति में निम्न योग्यता होना आवष्यक है।

1. आयु 19 वर्ष से कम न हो ।
2. भारतीय नागरिक हो।
3. समिति के नियमों के पालन की प्रतिज्ञा की हो ।
4. सद्‌चरित हो तथा मघपान न करता हो ।
5. संबंधित शासकीय कार्यालयों में पक्षकारों का प्रतिनिधित्व करने की कानूनी योग्यता रखता हो ।

8. **सदस्यता की समाप्ति** :

संस्था की सदस्यता निम्नलिखित स्थिति में समाप्त हो जावेगी :

(अ) मृत्यु हो जाने पर ।
(ब) पागल हो जाने पर ।
(ब) संस्था को देय षुल्क नियम 5 में बताये अनुसार जमा ने करने पर।
(स) त्यागपत्र देने और वह स्वीकार होने पर ।

अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव

(द) चारित्रिक दोष होने पर और कार्यकारिणी के समिति के निर्णयानुसार निकाल दिये जाने पर। जिसके निर्णय पारित होने की सूचना सदस्य को लिखित रूप से देना होगी।

(द) संस्था के नियमों का उल्लंघन करने पर ।

9. संस्था कार्यालय में सदस्य पंजी रखी जावेगी जिसमें निम्न ब्यौरे दर्ज किये जावेंगे :

(अ) प्रत्येक सदस्य का नाम, पता तथा व्यवसाय, हस्ताक्षर दिनांक सहित।

(ब) वह तारीख जिससे सदस्य को प्रवेष दिया गया हो व रसीद नं.....।

(स) वह तारीख जिससे सदस्यता समाप्त हुई हो।

10. (अ) **साधारण सभा** : साधारण सभा में नियम 5 में दर्षाये गये सदस्य समावेषित होंगे। साधारण सभा की बैठक आवष्यकतानुसार हुआ करेगी, परन्तु वर्ष में एक बार बैठक अनिवार्य होगी। बैठक का माह तथा बैठक का स्थान व समय कार्यकारिणी समिति निष्चित कर 15 दिवस पूर्व प्रत्येक सदस्य को सूचित करेंगी। बैठक कोरम 2/3 सदस्यों का होगा। संस्था की प्रथम साधारण सभा पंजीयन दिनांक से 3 माह के भीतर बुलाई जावेगी, उसमें संस्था के पदाधिकारियों का विधिवत निर्वाचन किया जावेगा। यदि संबंधित साधारण सभा का आयोजन किसी निर्धारित समय पर नहीं किया जाता है तो पंजीयक को अधिकार होगा कि वह संस्था की आम सभा का आयोजन किसी अधिकृत कर्मचारी के मार्गदर्षन में कर पदाधिकारियों का विधिवत चुनाव कराये।

(ख) **प्रबन्धकारिणी सभा** : प्रबन्धकारिणी सभा बैठक प्रत्येक माह होगी तथा बैठक का एजेण्डा तथा सूचना बैठक दिनांक से 7 दिन पूर्व कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य को भेजी जाना आवष्यक होगी। बैठक में कोरम एक 1/2 का होगा। यदि बैठक का कोरम पूर्ण नहीं होता है तो बैठक आधा धण्टे के लिये स्थगित कर उसी स्थान पर उसी दिनांक को पुनः आयोजित की जा सकेगी जिसके लिये कोरम की कोई षर्ते नहीं होगी।

(ग) **विषेष** : यदि कम से कम कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 सदस्यों द्वारा लिखित रूप से बैठक बुलाने हेतु आवेदन करें तो उनके दर्षाये विषय पर विचार करने के लिये साधारण सभा की बैठक बुलाई जावेगी। विषेष संकल्प /प्रस्ताव पारित हो जाने पर संकल्प/प्रस्ताव की प्रति बैठक पंजीयक को संकल्प/प्रस्ताव पारित होने के दिनांक से 45 दिन के भीतर भेजी जावेगी। पंजीयक को इस संबंध में आवष्यक निर्देष जारी करने तथा समिति को परामर्ष देने का अधिकार होगा।

11. **साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्य** :

(अ) संस्था के पिछले वर्ष का वार्षिक विवरण, प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृत करना ।

(ख) संस्था की स्थायी निधि व सम्पति की व्यवस्था करना।

(ग) आगामी वर्ष के लिये लेखा परीक्षकों की नियुक्ति संस्थाओं में करना।

(घ) अन्य ऐसे विषयों पर विचार करना जो प्रबंधकारिणी द्वारा प्रस्तुत किये जायें।

(ड) संस्था द्वारा संचालित संस्थाओं के आय–व्यय पत्रकों को स्वीकृत करना।

(च) बजट का अनुमोदन करना।

अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव

12 .ट्रस्टीज यदि कोई हो, समिति के पदेन सदस्य रहेंगे। नियम 5 (अ, ब, स) में दर्षाये गये सदस्यों जिनके नाम पंजी रजिस्टर में दर्ज हों बैठक में बहुमत के आधार पर निम्नांकित पदाधिकारियों तथा प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन होगा ।

(1) अध्यक्ष –1 (2) उपाध्यक्ष –1

(3) सचिव –1 (4) वाणिज्यिकर सचिव –1

(5) सेवा कर सचिव –1 (6) कोषाध्यक्ष –1

(7) सह सदस्य –1 (8) कार्यकारिणी सदस्य –9 + 1(तत्कालीन पूर्वाध्यक्ष)

(कुल 17)

13. **प्रबंध समिति का कार्यकाल** :

प्रबंध समिति का कार्यकाल अधिकतम 3 वर्ष का होगा। कार्य समिति यथेष्ट कारण होने पर उस समय तक जब तक कि नई प्रबंधकारिणी समिति का गठन नियमानुसार या अन्य कारणों से नहीं हो जाता, कार्य करती रहेगी किन्तु उक्त अवधि के 6 माह से अधिक नहीं होगी जिसका अनुमोदन साधारण सभा से कराना अनिवार्य होगा।

14. **<u>प्रबंधकारिणी के अधिकार व कर्तव्य</u>** :

(1) जिन उद्देष्यों की प्राप्ति हेतु समिति का गठन हुआ है पूर्ति करना और इस आष्य की पूर्ति हेतु व्यवस्था करना।

(2) पिछले वर्ष का आय–व्यय का लेख पूर्णतः परीक्षित किया हुआ प्रगति प्रेतिवेदन के साथ प्रति वर्ष साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना।

(3) समिति एवं उसके अधीन संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान करना। संस्था की चल–अचल सम्पत्ति पर लगने वाले कर आदि का भुगतान करना।

(4) कर्मचारियों की नियुक्ति एवं सेवा मुक्त करना।

(5) अन्य आवष्यक कार्य करना जो साधारण सभा द्वारा समय–समय पर तय किये जायें।

(6) संस्था की समस्त चल–अचल सम्पत्ति कार्यकारिणी समिति के नाम से रहेगी।

(7) संस्था द्वारा कोई भी स्थाई संपत्ति, रजिस्ट्रार की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा या अन्यथा अर्जित या आन्तरित नहीं की जायेगी।

(8) विषेष बैठक / सभा आमंत्रित कर संस्था के विधान में संषोधन किये जाने के प्रस्ताव पर विचार विमर्ष कर साधारण सभा की विषेष बैठक में उसकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करना। साधारण सभा में कुल सदस्यों के 2/3 मतों से संषोधन पारित होने पर उक्त प्रस्ताव पारित किया जावेगा।

अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव

15. **अध्यक्ष के अधिकार** :

अध्यक्ष के साधारण सभा तथा प्रबंधकारिणी समिति की समस्त सभाओं की अध्यक्षता करेगा तथा सचिव द्वारा प्रबंधकारिणी की बैठकों का आयोजन करवाएगा। अध्यक्ष का मत होने पर विचारार्थ विषयों में अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा।

16. **उपाध्यक्ष के अधिकार :**

अध्यक्ष की अनुपस्थिति द्वारा साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की समस्त बैठकों की अघ्यक्षता करेगा। अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का उपयोग करेगा।

17. **अ–सचिव (मंत्री) के अधिकार** :

(अ) साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की बैठक सभा समय–समय पर बुलाना एवं समस्त आवेदन तथा सुझााव जो प्राप्त हो उन्हें प्रस्तुत करना।

(ब) समिति का आय–व्यय का लेखा परीक्षण से प्रतिवेदन तैयार कराके साधारण सभा के सम्मुख प्रस्तुत करना।

(स) समिति के सारे दस्तावेजों /पत्रकों को तैयार करना तथा करवाना। इस कार्य का निरीक्षण करना एवं अनियमितता पाये जाने पर उसकी सूचना प्रबंधकारिणी एवं साधारण सभा को देना।

(द) सचिव को किसी कार्य के लिये एक समय में रू.1000/– तक खर्च करने का अधिकार होगा।

(17) **ब–सहसचिव के अधिकार** :

सचिव की अनुपस्थित में सहसचिव, सचिव के समस्त अधिकारों का उपयोग करना।

(17) **स–वाणिज्यिकर सचिव के अधिकार** :

वाणिज्यिकर सचिव वाणिज्यिकर मामलों के संबंध में होने वाली गतिविधियों में सचिवीय कार्यों का संचालन करेगें।

18. **कोषाध्यक्ष के अधिकार** :

समिति की धनराषि का पूर्ण हिसाब रखना तथा सचिव व कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत व्यय करना।

19. **बैंक खाता** :

संस्था की समस्त निधि किसी अनुसूचित बैंक या पोस्ट ऑफिस में रहेगी। धन का आहरण अध्यक्ष, सचिव, तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरो से होगा।

20. **पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारी** :
अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत संस्था की वार्षिक आमसभा होने के दिनांक से 45 दिन के भीतर निर्धारित प्रारूप पर कार्यकारिणी समिति की सूची निर्धारित षुल्क सहित फाईल की जावेगी तथा धारा 28 के अन्तर्गत संस्था की परीक्षित लेखा निर्धारित समय में एवं षुल्क सहित प्रस्तुत भेजेगी।

अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव

21. **संषोधन** :

संस्था के विधान में संषोधन साधारण सभा की बैठक में कुल सदस्यों के 2/3 मतों से पारित होगा। यदि आवष्यक हुआ तो संस्था के हित में उसके पंजीकृत संविधान में संषोधन करने के अधिकार पंजीयक फर्मस एवं संस्थाओं को होगा जो प्रत्येक सदस्य को मान्य होगा। संषोधन प्रस्ताव निर्धारित षुल्क सहित प्रस्तुत किया जावेगा।

22. **विघटन** :

संस्था का विघटन साधारण सभा में कुल सदस्यों के 3/5 मतों से पारित किया जायेगा। विघटन के पष्चात् संस्था की चल तथा अचल सम्पत्ति किसी समान उद्देष्यों वाली संस्था को सौंप दी जावेगी । उक्त समस्त कार्यवाही अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ही किया जावेगा।

23. **सम्पति** :

संस्था की समस्त चल तथा अचल सम्पति संस्था के नाम से रहेगी। संस्था की अचल सम्पति (स्थावर) रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाओं की लिखित अनुज्ञा एवं निर्धारित षुल्क के बिना, विक्रय द्वारा, दान द्वारा या अन्य प्रकार से अर्जित या स्थानांतरित नहीं की जा सकेगी।

24. **बैंक खाता** :

संस्था की समस्त निधि हेतु खाता कसी अनुसूचित बैंक में खेला जावेगा एवं समय– समय पर धन जमा करने व निकालने की प्रक्रिया जारी रहें।

25. **पंजीयक द्वारा बैठक बुलाना** :

संस्था की पंजीकृत नियमावली के अनुसार पदाधिकारियों के द्वारा वार्षिक बैठक ना बुलाये जाने पर या अन्य प्रकार से आवष्यक होने पर पंजीयक को फर्म्स एवं संस्थाओं को बैठक बुलाने का अधिकार होगा। साथ ही यह बैठक में विचारार्थ विषय तय कर सकेगा।

26. **विवाद** :

यदि संस्था में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर अध्यक्ष साधारण – सभा की अनुमति से सुलझाने का अधिकारी होगा। यदि इस निष्चित या निर्णय से उभय पक्षों को संतोष न हो तो रजिस्ट्रार की ओर से विवाद को निर्णय के लिये भेजा जा सकेगा।रजिस्ट्रार का निर्णय अन्तिम तथा सर्वामान्य होगा। संचालित सभाओं के विवाद अथवा प्रबन्धकारिणी में विवाद होने पर अन्तिम निर्णय देने का अधिकार रजिस्ट्रार को होगा।

****

अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव